If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition		Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee is consisting of :-		Consultation with the Union Public Service Commission is not
1. Director, Central Water and Power Research Station, Pune.	- Chairman	necessary.
Director/ Deputy Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	- Member	
3. Scientist 'D', Central Water and Power Research Station, Pune.	– Member	
4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune.	- Member	

[F. No. 2/4/2009-E.II]

R. N. DIXIT, Under Secy.

## नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2017

सा.का.िन. 409.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे (सुरक्षा गार्ड, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में सुरक्षा गार्ड के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- **1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, सुरक्षा गार्ड, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है ।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। [भाग II—खण्ड 3(i)]

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके. इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत. आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6. व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अन्सूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सुरक्षा गार्ड	3*	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1	लागू नहीं होता
	(2017)	   समूह "ग" अराजपत्रित,	(18000-56900 रुपये)	
	*कार्यभार के आधार	अननुसचिवीय		
	पर परिवर्तन किया जा			
	सकता है।			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और
	अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच ।	आत्रश्यकः

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए, अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण 1: आय-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्याख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

- (क) (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्यूलेशन या मैट्रिक्यूलेशन के समतुल्य रक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो और
- (ii) रक्षा संगठनों में एक वर्ष सेवा की हो
- (ख) किसी बृहद औद्योगिक स्थापना में सुरक्षा गार्ड या चौकीदार के रूप में एक वर्ष के अनुभव के साथ मैट्क्यूलेशन।

### वांछनीय:

अग्निशमन उपस्कर के रख-रखाव का एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग या केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)
लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे
प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा	श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	•
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
	(12)		(13)
₹	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति तथा पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-		लागू नहीं होता ।
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान	अध्यक्ष	
	शाला, पुणे		
2	वैज्ञानिक 'बी', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे	सदस्य	
3	केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से समूह 'क' अधिकारी	सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/41/2017-ई.II]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

New Delhi, the 10th November, 2017

- **G.S.R. 409.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Security Guard, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2013, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Security Guard in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, namely:-
- **1. Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Security Guard, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Number of post, classification, level in the pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### **SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection
				post or non- selection
				post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Security Guard	03*	General Central	Level- 1 in pay	Not applicable
	(2017)	Services, Group 'C'	matrix (Rs. 18000-	
	* subject to variation	Non-Gazetted,	56900).	
	dependent on workload.	Non-Ministerial.		

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	
(6)	(7)	
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government	Essential:	
servants upto the age of 40 years in case of general	(a) (i) Matriculate from a recognised board or passed Defence	
candidates and up to 45 years in the case of candidates	Service Examination equivalent to Matriculation; and	
belonging to the Schedules Castes or the Scheduled	•	
Tribes in accordance with the instructions or orders	(ii) one year's service with Defence organisations.	
issued by the Central Government from time to time)		
,	OR	
<b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age-limit		
shall be the closing date for receipt of applications	(b) Matriculate with one year experience as a Security Guard or	
from candidates in India (and not the closing date	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal	<u> </u>	
Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	<b>Desirable:</b> One year experience or handling fire-fighting	
Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir	equipment.	
State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-	1.1	
Division of Chamba District of Himachal Pradesh,	<b>Note1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff	
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Selection Commission for reason to be recorded to writing, in	
	the case of candidates otherwise well qualified.	
<b>Note2</b> : In the case of recruitment made through		
Employment Exchange, the crucial date for	Note 2: The Qualification regarding experience is relaxable at	
determining the age limit shall be the last date upto	the discretion of Staff Selection Commission or Central	

which the Employment Exchange is asked to submit	Government in case of candidates belonging to Scheduled
the names.	Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff
	Selection Commission or the Central Government is of the
	opinion that sufficient number of candidates with requisite
	experience are not likely to be available to fill up the vacancy
	reserved for them.

Whether age and qualification prescribed for direct recruits will	Period of probation if any	
apply in the case of promotees		
(8)	(9)	
Not applicable	Two years	

Method of recruitment whether by direct recruitment	In case of recruitment by promotion or deputation
promotion or deputation / absorption, and percentage of	/absorption, grades from which promotion or deputation/
vacancies to be filled by various methods	absorption is to be made
(10)	(11)
Direct recruitment	Not applicable

If a l	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
	(12)		(13)
Gro	up 'C' Departmental Promotion Committee for	Confirmation consisting	Not applicable.
1.	Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune	- Chairman	
2.	Scientist 'B' Central Water and Power Research Station, Pune	- Member	
3.	A Group 'A' Officer from any other Central Government Department	- Member	

[F. No. A-12018/41/2017-E.II]

R. N. DIXIT, Under Secy.

# नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2017

सा.का.िन. 410.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे (सुरक्षा अधिकारी, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में सुरक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, सुरक्षा अधिकारी, समृह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है ।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता.—**वह व्यक्ति
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,